नए डॉक्टर्स की 5 साल तक गांवों में अनिवार्य पोस्टिंग की जाएं : सराफ

पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव रखा

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर बहस देखने को मिली।

बीजेपी विधायक एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने सुझाव दिया कि नए नियुक्त डॉक्टरों की पहली पोस्टिंग कम से कम पांच साल के लिए दूरदराज के गांवों में अनिवार्य की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 2500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं तथा 75 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ के पद भी वहीं स्वीकृत हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीण इलाकों में जाने से बचते हैं।

■ **विधायक सराफ ने कहा कि "प्रदेश में करीब 2500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं तथा 75 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ के पद भी वहीं स्वीकृत हैं, परंतु डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीण इलाकों में जाने से बचते है।"**

सराफ ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रसूख के चलते कई कर्मचारी शहरों में डेपुटेशन करवा लेते हैं, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसका खामियाजा गरीब और ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ता है, जिन्हें सामान्य इलाज के लिए जिला या संभाग मुख्यालय और गंभीर स्थिति में जयपुर तक जाना पड़ता है।

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नए डॉक्टरों से कम से कम 50 लाख रुपये का बॉन्ड भरवाया जाए और उनकी पहली नियुक्ति पांच वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्पष्ट और प्रभावी ट्रांसफर नीति लागू की जाए, ताकि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं संतुलित रूप से संचालित हो सकें। सराफ ने शहरी भत्ता बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को विशेष ग्रामीण भत्ता देने की भी मांग की। उनका कहना था कि यदि गांवों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अधिक उत्साह से काम करेंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण सेवा में लगे डॉक्टरों के बच्चों को शहरों के अच्छे स्कूलों में प्रवेश दिलाने की सरकारी व्यवस्था हो, ताकि शिक्षा को लेकर उनकी चिंताएं दूर की जा सकें।

इसके अलावा उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइन्स का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के नाम पर रखने तथा जयपुर के गणगौरी अस्पताल का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किए जाने का सुझाव भी दिया।

विधायक सिफारिशें करना बंद कर दें, किसी अस्पताल में पद खाली नहीं रहेंगे : चिकित्सा मंत्री

जयपुर (विसं)। स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सरकार मेडिकल क्षेत्र को लेकर गंभीर है। वर्ष 2019-20 में 13 हजार करोड़ तथा 2022-23 में 20 हजार करोड़ रुपए बजट था। जब राजस्थान में हमारी सरकार जब आई तो हमने 27 हजार करोड़ का बजट रखा। इसके बाद हमने 2026-27 में 31 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है। कांग्रेस सरकार से हमारा बजट 53 फीसदी से ज्यादा है। सरकार ने मेडिकल पर दिल खोलकर खर्च किया है। पैसों का कोई अभाव नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल खोलकर बजट दिया है।

खींवसर ने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर 10 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं।

■ **'कांग्रेस सरकार से हमने 53 फीसदी ज्यादा स्वास्थ्य बजट रखा'**

मेडिकल कॉलेजों में फूड कोर्ट बनेंगे। करीब 500 करोड़ की लागत से हम संभाग मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेजों के पास धर्मशालाएं बना रहे हैं, जहां मरीजों के अटेंडेंट को रहने की फ्री सुविधा मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में खाली पदों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अस्पतालों में खाली पदों की बात हो रही थी। आप मुझे एक वादा कर दो कि आप लोग सिफारिश नहीं करोगे। सब विधायक बोल देंगे कि सिफारिश नहीं करवाएंगे तो एक भी अस्पताल में पद खाली नहीं रहेगा।

कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ने की बात पर हंगामा मचा

जयपुर । विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तकरार हो गयी। कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कहा कि कोरोना के बाद देश-प्रदेश में हार्ट अटैक के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 20-30 साल के युवकों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रम है कि कोरोना में 2 तरह कर वैक्सीन लगी थी। भ्रम है कि कोवीशील्ड वैक्सीन लगाने वालों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। इस पर रिसर्च करना चाहिए। इसी दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने टोकते हुए पूछा- आपको कौनसी वैक्सीन लगी थी। मेहर ने कहा, मुझे तो सरकार ने लगा दी पता नहीं कौनसी थी। हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा लेने के लिए नकली वैक्सीन लगा दी गई हो। 20-20 साल के युवकों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आए दिन हम हार्ट अटैक की घटनाएं सुनते हैं। कृपलानी के बाद मंत्री मदन दिलावर सहित कई बीजेपी विधायकों ने आपत्ति करते हुए कहा कि कांग्रेसी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, इनकी पुरानी आदत रही है। बीच में टोकने पर मेहर के अलावा कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। इस पर काफी देर तक नोकझोंक और हंगामा चलता रहा। मेहर ने कहा कि टोकने वाले विधायक के इलाके में मेंटल हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, इनका इलाज करवाइए। मैं इतना ही तो कह रहा हूं कि वैक्सीन से हार्ट अटैक को लेकर रिसर्च करवाना चाहिए, इसमें गलत क्या हैं।

ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 से जुडे मामले में शिक्षा सचिव व जिला परिषद जालौर सहित अन्य से पूछा है कि जब कम अंक वाले काम कर रहे हैं तो उनसे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इसके साथ ही अदालत ने यह भी बताने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नमो नारायण शर्मा के मामले में दिए आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामावतार की याचिका सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती को लेकर जारी परिणाम के बाद कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। वहीं बाद में जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अंक बढ़ गए। इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके समान ही एक अन्य मामले में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश दिया है। इसलिए उसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेवा परिलाभ देकर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

'भर्तियों में संविदाकर्मियों के समायोजन का प्रयास'

जयपुर (विसं)। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरमल खर्रा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में भर्तियां निकाले जाने पर प्राथमिकता के आधार पर संविदाकर्मियों के समायोजन का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविदाकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए पीएफ और ईएसआई की राशि जमा कराना अब अनिवार्य कर दिया है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक डॉ. शिखा मील बराला के प्रश्नों के जवाब में मंत्री ने बताया कि पहले प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से पीएफ व ईएसआई की राशि तो काट ली जाती थी, लेकिन संबंधित विभागों में जमा नहीं कराई जाती थी। नई व्यवस्था में प्रथम माह का बिल बिना रसीद पारित किया जाएगा, लेकिन दूसरे माह के बिल के साथ पिछले माह की पीएफ-ईएसआई राशि का चालान अनिवार्य है।

'द्रव्यवती नदी में सीधे ही अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जा रहा, अवैध पंपिंग से हो रही खेती'

न्यायमित्रों ने हाईकोर्ट में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । शहर की द्रव्यवती नदी के संरक्षण से जुडे मामले में नियुक्त न्यायमित्रों ने अदालती आदेश की पालना में हाईकोर्ट में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की है। जिसमें कहा गया कि गत 7 और 8 फरवरी को द्रव्यवती नदी पर बने एसटीपी प्लांट और रिवर फ्रंट सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में पता चला कि विश्वकर्मा औद्योगिक एरिया, बनीपार्क आर्मी एरिया, विद्याधर नगर, सुशीलपुरा, रीको एसटीपी तरुछाया नगर, रेलवे ब्रिज फन किंगडम के पास, ग्रासफील्ड श्याम नगर के पास, आतिश मार्केट, बम्बाला पुलिया, मानसरोवर, नारायणा अस्पताल प्रताप नगर व राणा सांगा मार्ग पर अनट्रीटेड वाटर को सीधे ही द्रव्यवती में छोड़ा जा रहा है। वहीं गोनेर में अवैध तौर पर पंपिंग कर खेती की जा रही है। कई जगह पर रिवर फ्रंट का अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। वहीं एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की कमी है। एसटीपी प्लांट पर सफाई की व्यवस्था नहीं है।

वहीं द्रव्यवती के प्लांट के सबस्टैंडर्ड होने के चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है। इसके जवाब में जेडीए ने कहा कि सुशीलपुरा पर जयपुर नगर निगम की सीवरेज लाइन, जो देहलावास एसटीपी के लिए है, वहां से सरप्लस फ्लो सीधा ही द्रव्यवती में डायवर्ट हो रहा है। वहीं अन्य जगहों पर भी कई नालों से भी अनट्रीटेड सीवरेज नगर निगम नदी में छोड़ रहा है। इसके अलावा विश्वकर्मा, सुदर्शनपुरा और सीतापुरा सहित सांगानेर सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र से केमिकल वाला कचरा सीधे द्रव्यवती नदी में छोड़ा जा रहा है। जेडीए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई कर रहा है। जेडीए ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने व दोषी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करने की कार्रवाई भी की है। अदालत में मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि पीएन मैंदोला ने द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इसमें कहा था कि इस नदी को प्रदूषित कर दिया है और इससे वास्तविक स्वरूप नष्ट हो रहा है। इसलिए इसे मूल स्वरूप में लाया जाए।

मावठ और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

राजधानी जयपुर में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी दिनभर जारी रही। मावठ से तापमान में कमी होने से ठंड ने वापस जोर पकड़ा है। दिनभर बारिश और सर्द हवाओं ने एक बार फिर शहरवासियों को ठिठुरन का एहसास करवा दिया। हालांकि बारिश के कारण स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी।

जयपुर के भविष्य की यातायात व्यवस्था को मिलेगा नया विज़न

जयपुर (कासं)। जयपुर शहर की वर्तमान और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा तैयार किए गए कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है। इस महत्त्वपूर्ण योजना का उद्देश्य शहर में सुगम, सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। जेडीए ने इस ड्राफ्ट को आमजन, विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, शैक्षिणक संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सुझाव एवं अभिमत प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक किया है, ताकि शहर के विकास में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। सीएमपी का ड्राफ्ट बुधवार से जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और आगामी 7 (सात) दिनों तक अवलोकन के लिए ऑनलाइन देखा जा सकता है। नागरिक, संबंधित विभाग एवं संगठन अपने सुझाव, अभिमत अथवा आपत्तियाँ 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक प्रेषित कर सकेंगे।

सार-समाचार

राज्यपाल ने किया पुस्तक का किया

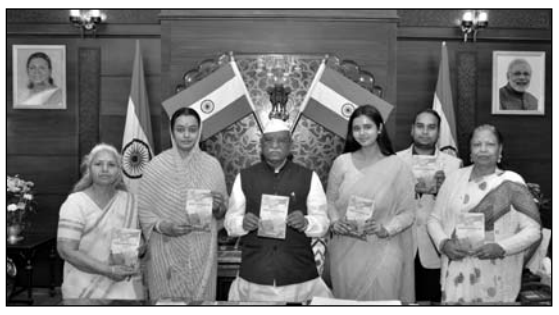

जयपुर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष को समर्पित पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि: भ्रम बनाम सत्य' की प्रथम प्रति का बुधवार को लोक भवन में विमोचन किया गया। पुस्तक में हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य में आने वाली चुनौतियों तथा समाज में फैलाए गए भ्रम और तथ्यों के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने, अनुशासन एवं चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण जैसे विषयों को तथ्य और तर्क की कसौटी पर प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट की गई। राज्यपाल ने पुस्तक लेखन के लिए लेखिका डॉ. निमिषा गौड़ एवं स्निग्धा को बधाई देते हुए उन्हें सार्वजनिक जीवन में निरंतर सक्रिय रहकर समाजहित में कार्य करने की प्रेरणा दी।

जयपुरिया इंस्टीटयूट में युवा सम्मेलन

जयपुर । जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर में यूथ फॉर इंडिया (2047) श्रृंखला के अंतर्गत 13वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 फरवरी को होगा। इस सम्मेलन का विषय एआई डिसरप्शन एंड ऑपर्च्युनिटीज: प्रिपेरिंग यूथ फॉर ग्लोबल चैलेंजेज है। यह दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, जहां वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, नेतृत्व और युवा सशक्तिकरण की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें विश्वभर के 40 महाविद्यालयों से 1000 विद्यार्थियों की सहभागिता होगी। सम्मेलन का उद्घाटन डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी करेंगे। इसमें प्रसिद्ध सेलिब्रिटी एवं युवा आइकन रणविजय सिंहा भी शामिल होंगे। समापन सत्र में युवा विकास और उच्च शिक्षा से जुडे वरिष्ठ शिक्षाविद एवं नीति-निर्माता उपस्थित रहेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणी से हंगामा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की तो उनकी विपक्ष के सदस्यों के साथ जमकर नोंकझोंक हो गयी। नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस सदस्य का उल्लेख किया जा रहा है वह सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए उनके बारे में की गई टिप्पणी कार्यवाही से हटाई जानी चाहिए। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। संदीप शर्मा ने कहा कि उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है और वे केवल पहले की गई टिप्पणियों का जवाब दे रहे हैं। दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप के बीच कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। बाद में सभापति के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रस्ताव और राजनीतिक टिप्पणियों पर हुए हंगामे ने सदन की कार्यवाही को गरमा दिया, लेकिन बहस के केंद्र में गांवों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया।

'एका : द वन' प्रदर्शनी का समापन

जयपुर । जवाहर कला केन्द्र की अलंकार दीर्घा में केरल की वरिष्ठ चित्रकार डॉ. बीना एस. उन्नीकृष्णन की ट्रैवल एग्जीबिशन की प्रदर्शनी एका: द वन का बुधवार को समापन हुआ। प्रदर्शनी में 64 योगिनियों के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया। ये सभी स्वरूप मानव के जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले, सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित करने वाले नजर आए। अपनी ट्रैवल एग्जीबिशन के बारे में केरल की वरिष्ठ चित्रकार डॉ. बीना एस. उन्नीकृष्णन ने बताया कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाने का अनुभव बेहद सुखद रहा है। यहां लोगों ने इस प्रयास को काफी सराहा और प्रदर्शनी में दिखाए गए 64 योगिनियों के विभिन्न स्वरूपों की प्रशंसा की। एक कलाकार के लिए कला की प्रशंसा पारितोषिक से कम नहीं होता। जयपुर के बाद 64 योगिनियों के विभिन्न स्वरूपों की यह प्रदर्शनी दिल्ली, ग्वालियर, वाराणसी, कोलकाता, भुवनेश्वर, नागपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा लगाई जाएगी। अगस्त में यह प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में शामिल होगी।

अंतर्राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ : मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बंगाल, असम, बिहार, यूपी और झारखंड से युवतियां लाकर रचते थे सौदेबाजी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । विवाह के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा।

आरोपी को जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र स्थित जयसिंहपुरा इलाके से पुलिस मुख्यालय की सीआईडी अपराध शाखा की टीम ने दस्तयाब कर लिया और उसे पुलिस थाना गिड़ा, जिला बालोतरा से आई टीम के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित है। आरोपी शादी के नाम पर ठगी और मानव तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य सूत्रधार है। यह गिरोह असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से युवतियां लाकर शादी के नाम पर सौदेबाजी की वारदातों में लिप्त था।

क्राइम ब्रांच की एसपी ज्येष्ठा मैत्रयी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपित भंवरलाल शर्मा का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। यह गिरोह कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब युवतियों को शादी या काम का झांसा देकर राजस्थान लाता था।

■ **सीआईडी क्राइम ब्रांच ने विवाह के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की**

इसके बाद इन लड़कियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊँची कीमतों पर बेच दिया जाता था। जिनकी शादियां नहीं हो रही थीं। शादी के कुछ समय बाद ही यह गिरोह पीड़ितों को कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर दोबारा अवैध वसूली और ठगी का खेल खेलता था।

ज्येष्ठा मैत्रयी ने बताया कि लंबे समय से फरार और इनामी अपराधियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में भंवरलाल शर्मा की लोकेशन पर सतत निगरानी रखी जा रही थी।

जिस पर सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में दबिश दी और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार की विशेष भूमिका रही। टीम की समन्वित रणनीति और तकनीकी निगरानी के चलते दो साल से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी भंवरलाल शर्मा का आपराधिक इतिहास पुराना रहा है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2005 से उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। इनमें थाना सांगानेर सदर, थाना सदर जयपुर, थाना श्याम नगर जयपुर, थाना गांधी नगर अजमेर, थाना केकड़ी सिटी जिला केकड़ी, थाना गिड़ा जिला बालोतरा सहित अन्य स्थानों के मामले शामिल बताए गए हैं। जिनमे उसके विरुद्ध अपहरण, फिरौती के लिए धमकाना, धोखाधड़ी और दुष्कर्म, बलवा करने, अवैध रूप से संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, आर्म्स एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में गिरोह के अन्य नेटवर्क और संभावित पीड़ितों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

एसपी मैत्रयी ने बताया कि आरोपी भंवरलाल शर्मा एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह पिछले कई वर्षों से बाहरी राज्यों की युवतियों को लाकर उनकी सौदेबाजी करने वाले संगठित गिरोह का संचालन कर रहा था।

पुलिस मुख्यालय की इस कार्रवाई के बाद अब इस गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद है।

'जेडीए बताए कब तक खाली करेंगे सामुदायिक केन्द्र'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र में जेडीए का जोन ऑफिस खोलने से जुडे मामले में कहा है कि किसी अधिकारी या प्राधिकरण को सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने जेडीए को 16 मार्च तक बताने को कहा है कि सामुदायिक केन्द्र को खाली कर ऑफिस को कब तक दूसरी सरकारी भवन या किराए की बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया जाएगा। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में स्थापित सामुदायिक केन्द्र जनता के उपयोग के लिए है और यहां कार्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में जेडीए को अपना कार्यालय यहां से शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जनता सामुदायिक केन्द्र का उपयोग कर करे। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि पृथ्वीराज नगर का जोनल ऑफिस पहले मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड की इमारत में चल रहा था। इस इमारत को अस्पताल के लिए जून, 2024 में खाली करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में इसे पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था।

बृज विश्वविद्यालय के वीसी पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि चांसलर ने वैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत और विधि प्रक्रिया अपनाकर कुलपति को हटाया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमेश चन्द्र की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक समीक्षा का दायर केवल निर्णय प्रक्रिया की वैधता की जांच तक सीमित होता है। मामले में संबंधित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार एमएसबीयू अधिनियम की धारा 11ए के तहत चांसलर के पास था। वहीं मामले में राज्य सरकार से जरूरी परामर्श भी लिया गया था और जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देकर यह आदेश दिया गया है।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को 8 मार्च, 2023 को तीन साल के लिए महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कॉलेजों की जांच करवा कर उनकी संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की थी। वहीं बाद में इन कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने चांसलर से उसकी शिकायत की। इस पर चांसलर ने शिकायतों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की। वहीं 28 मार्च 2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि उसे निलंबन से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला। यहां तक की निलंबन अवधि के दौरान वेतन-भत्तों का भी भुगतान नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि उसे जांच रिपोर्ट देकर जवाब के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। जब याचिकाकर्ता ने गत 10 नवंबर को निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अगले दिन ही उसे कुलपति पद से हटा दिया गया। ऐसे में उसके निलंबन और पद से हटाने के आदेशों को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वित्तीय अनियमिता और पद के दुरुपयोग की शिकायत थी।

80 लाख रु.के विदेशी गांजे के साथ 3 तस्कर दबोचे

जयपुर । राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत थाईलैंड (बैंकॉक) से तस्करी कर लाए गए हाई-क्वालिटी हाईड्रोफोनिक वीड (ऑर्गेनिक विदेशी गांजा) की बड़ी खेप पकड़ी है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस 910 ग्राम गांजे की कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक लग्जरी कार सहित तीन हाई-प्रोफाइल तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी टीम ने सांगानेर और प्रताप नगर थाना इलाके में दबिश दी। जहां सीएसटी टीम ने हाई-क्वालिटी हाईड्रोफोनिक वीड (ओर्गेनिक विदेशी गांजा) बरामद किया है। विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन्स) राहुल प्रकाश ने बताया कि सांगानेर थाना इलाके से आरोपी मौलिक निवासी वैशाली नगर और फोरमेन सैनी निवासी टोंक हाल जगतपुरा को दबोचा गया। इनके पास से 541 ग्राम विदेशी गांजा, 1.55 लाख रुपये कैश और एक लग्जरी कार बरामद हुई। वहीं प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित कुम्भा मार्ग पर कार्रवाई करते हुए नितिन शर्मा निवासी बांदीकुई जिला दौसा हाल प्रतापनगर को गिरफ्तार किया।

'तीन सप्ताह के भीतर पेश करो अतिक्रमण हटाने की पालना रिपोर्ट, वरना पेश हों अधिकारी'

■ **राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त जमीन पर बसी कॉलोनियों और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा**

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी कॉलोनियों और अतिक्रमण के मामले में आदेश की पालना रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर अदालत ने आवासन आयुक्त को पेश होकर जवाब देने को कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 20 अगस्त को आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी 87 कॉलोनियों को हटाकर अतिक्रमण के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बावजूद छह माह बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया मौके पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में आवासन मंडल के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आवासन आयुक्त को तलब किया है।

अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने गत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर सांगानेर में आवासन मंडल की अवाप्ति वाली जमीन पर बसी करीब 87 कॉलोनियों को नियमित करने को कहा था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने गत 20 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जे को नियमित करने पर सवाल करते हुए 12 मार्च के आदेश पर रोक लगाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था।